2023/260

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
193 - 128	193/2023	13/12/23	निर्णित 27/3/24	10/1/2024 26/3/2024 27/3/24

अनवान

श्री बद्री S/o हीरा जाति धाकड़ | श्री रघुनाथ S/o हीरा जाति धाकड़

निवासी विक्रमपुरा तह. बिजौलिया | निवासी विक्रमपुरा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट | अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

डिक्रीदार | मदयून

श्री रामफुल धाकड़ | श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखंण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

बद्री s/o हीरा बनाम रघुनाथ s/o हीरा

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 193 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/1/2024 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/1/24	~~[illegible]~~ पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/2/24 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
21/2/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 26/3/24 को पेश हो। [signature]	
26/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/3/24 को वास्ते AO1 पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए
गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए
एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया।
फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर पत्रावली
दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 193/23 दा. तारीख 13/12/23

बद्री पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. रघुनाथ पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. भानुप्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. बालु पुत्र रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. योगेश पुत्र हेमराज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 27/3/24

प्रार्थना पत्र **बद्री पुत्र हीरा जाति धाकड निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 598/313 रकबा 0.1376 हैक्टेयर** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमा जी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 598/313 रकबा 0.1376 हैक्टेयर** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 193/24

दा. तारीख 13/12/24
फै. 27/3/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 193 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

बद्री पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. रघुनाथ पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. भानुप्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. बालु पुत्र रामलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा हाल मुकाम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. योगेश पुत्र हेमराज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 149 पर अंकित आराजी संख्या 598 / 313 रकबा 0.1376 हैक्टेयर** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **उमा जी का खेडा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाडा)